3.7.24

प्रार्थी, वादी द्वारा प्रतिवादी/विपक्षी के विरुद्ध
भरण-पोषण (धारा 125 दं.प्र.सं.) के वाद में
प्रतिवादी/विपक्षी को वाद पत्र की तामील
होने, साक्ष्य वादी व प्रतिवादी के
साक्ष्य अभिलेख पर लिया जाकर
दोनों पक्षों के तर्क सुने जाने
पश्चात् निर्णय हेतु नियत किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:51:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner